Index MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL & RESEARCH CENTRE, INDORE
(Unit of Mayank's Welfare Society)
(Constituent Unit of Malwanchal University)
ACCREDITED BY NABH & NABL
NABL Certificate No. MC-3448
NABH Certificate No. PEH-2019-0966

Ref. No: - IMCHRC/DN/2024/220 Date: - 16.09.2024

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा,

6 मंजिल सतपुड़ा भवन भोपाल

विषय :- MPPURC द्वारा वर्ष 2024-25 में एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम की फीस अनुमोदन पश्चात् एम. बी. बी. एस. काउंसलिंग पोर्टल में संशोधन के सम्बन्ध में |

सेवा में,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है है की एम. बी. बी. एस. काउंसलिंग 2024 के प्रारम्भ होने से पूर्व एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम की वर्ष 2024-25 का शिक्षण शुल्क पूर्व में निर्धारित नहीं था | MPPURC के पत्र क्रमांक 2365/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग 2024 दिनांक 05.04.2024 द्वारा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर की एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित की गयी है |

अतः अनुरोध है की आगामी एम. बी. बी. एस. काउन्सलिंग के चरणों हेतु इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर की शिक्षण शुल्क में संलग्न पत्रानुसार संशोधन करने की कृपा करे |

धन्यवाद

अधिष्ठाता
इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर

INDEX MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & R.C. DEAN INDORE

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

College Address : Index City, Near Khudel, NH-59A, Nemawar Road, Dist., INDORE (M.P.)- 452 016 Ph. 0731-4013600
City Office : 104, Trishul Apartment, 5, Sanghi Colony, A.B. Road, INDORE - 452008 **Phone** : 0731-4215757, Fax : 0731-4044715
E-mail : medical@indexgroup.co.in, deanindex1@gmail.com I **website** : www.indexgroup.co.in,

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2365/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/09/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मालवांचल विश्वविद्यालय
इंदौर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2024–25** मे संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **24.08.2024** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक **05.09.2024** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Medical Science	M.Ch. - Pediatric Surgery	1,295,100.00	1,100,835	194,265	1,295,100
2		D.M. - Endocrinology	1,295,100.00	1,100,835	194,265	1,295,100
3		Radio diagnosis	2,656,000.00	1,912,500	337,500	2,250,000
4		Dermatology	2,656,000.00	1,912,500	337,500	2,250,000
5		General Medicine	2,368,750.00	1,704,250	300,750	2,005,000
6		Obstetrics & Gynecology	2,368,750.00	1,704,250	300,750	2,005,000
7		Orthopedics	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
8		Anesthesiology	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

9		Pediatrics	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
10		Psychiatry	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
11		T.B. & Chest	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
12		E.N.T.	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
13		General Surgery	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
14		Ophthalmology	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
15		Emergency Medicine	2,154,000.00	1,625,200	286,800	1,912,000
16		Pathology	944,300.00	802,655	141,645	944,300
17		Anatomy	99,800.00	84,830	14,970	99,800
18		Biochemistry	99,800.00	84,830	14,970	99,800
19		Community Medicine (PSM)	99,800.00	84,830	14,970	99,800
20		Microbiology	99,800.00	84,830	14,970	99,800
21		Pharmacology	99,800.00	84,830	14,970	99,800
22		Physiology	99,800.00	84,830	14,970	99,800
23		MBBS	1,911,600.00	1,474,750	260,250	1,735,000
24	Faculty of Dental Science	Orthodontics & Dentofacial Orthodedics	640,000.00	471,750	83,250	555,000
25		Oral & Maxiliofacial Surgery	640,000.00	471,750	83,250	555,000
26		Conservative Dentistry & Endodontics	540,000.00	459,000	81,000	540,000
27		Periodontology	540,000.00	459,000	81,000	540,000
28		Prosthodontics & Crown Bridge.	540,000.00	459,000	81,000	540,000
29		Paedodontics & Preventive Dentistry	540,000.00	459,000	81,000	540,000
30		BDS	195,000.00	165,750	29,250	195,000
31		Dental Mechanic	71,500.00	60,775	10,725	71,500
32	Faculty of Pharmacy	B.Pharma (IIP)	61,410.00	48,450	8,550	57,000
33		D. Pharma (IIP)	71,500.00	58,650	10,350	69,000
34		D. Pharma (DOP)	68,425.00	54,400	9,600	64,000
35	Faculty of Arts	B.A	16,500.00	14,025	2,475	16,500
36		M.A.	31,200.00	26,520	4,680	31,200
37		B.Des.	57,000.00	34,850	6,150	41,000
38	Faculty of Science	B.Sc.	26,500.00	22,525	3,975	26,500
39		M.Sc.	21,500.00	18,275	3,225	21,500

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

40		B.Sc. (IT & CS)	26,500.00	22,525	3,975	26,500
41		M.Sc. In Medical Microbiology	106,800.00	90,780	16,020	106,800
42		M.Sc. In Medical Biochemistry	106,800.00	90,780	16,020	106,800
43		M.Sc. In Medical Anatomy	106,800.00	79,900	14,100	94,000
44		M.Sc. In Medical Physiology	106,800.00	79,900	14,100	94,000
45		M.Sc. In Medical Pharmacology	106,800.00	79,050	13,950	93,000
46		M.Sc. In Medical Facial Aesthetics	106,800.00	79,050	13,950	93,000
47		M.Sc. In Medical Audiology	106,800.00	79,050	13,950	93,000
48		M.Sc. In Medical Speech Language Pathology	106,800.00	79,050	13,950	93,000
49		B.L.I. Sc.	15,500.00	13,175	2,325	15,500
50		M.L.I.Sc.	20,500.00	17,425	3,075	20,500
51		B.Sc. Agriculture (Hons.)	57,000.00	48,450	8,550	57,000
52	Faculty of Commerce	B.Com.	16,500.00	14,025	2,475	16,500
53		M.Com.	20,500.00	17,425	3,075	20,500
54	Faculty of Management	B.B.A.	40,800.00	34,680	6,120	40,800
55		B.B.A. in Hospital Administration	60,500.00	51,425	9,075	60,500
56		M.B.A.	60,500.00	51,425	9,075	60,500
57		M.B.A. in Hospital Administration	77,500.00	65,875	11,625	77,500
58		B.B.A. Hotel Management	51,500.00	43,775	7,725	51,500
59		M.B.A. in Hotel Management	61,500.00	52,275	9,225	61,500
60	Faculty of Research	Ph. D. (Medical)	105,500.00	89,675	15,825	105,500
61		Ph. D. (Non-Medical)	74,300.00	63,155	11,145	74,300
62	Faculty of Homeopathy Science	Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (BHMS)	150,000.00	95,200	16,800	112,000

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्राविधिक रूप से की गई है।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यकर्मों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नही होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नही है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024–25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक ....

पृ. क्रमांक............./म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

.... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

AMALTAS INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Village - Bangar, Dewas-Ujjain Highway Dist.- Dewas (M.P.) 455001

Ref.No.:-AIMS/DN/2024/488 **Date: 16/09/2024**

प्रति
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

विषय : सत्र 2023 - 25 में हमारे चिकित्सा महाविद्यालय अमलतास इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस, देवास में स्नातकोत्तर एम.डी. / एम. एस. पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग में निर्धारित शैक्षणिक शुल्क की जानकारी के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 960/ पीजी/ 4/आचिशि/ 2024 दिनांक 15/07/2024

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र हेतु लेख है कि हमारे महाविद्यालय अमलतास इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस, देवास का एम.डी. / एम. एस. पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक शुल्क MPPURC के समक्ष विचाराधीन था । अतः MPPURC के द्वारा हमारे महाविद्यालय का शैक्षणिक शुल्क निर्धारित कर दिया गया है । MPPURC से प्राप्त निर्धारित फीस आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है।

धन्यवाद

संलग्न : MPPURC का पत्र क्रमांक 2363/शुल्क /म.प्र.नि.वि.वि.वि आयोग /2024 दिनांक 05/09 /2024

डॉ अभिलाष कुमार पिठवा
अधिष्ठाता

डॉ. **कर्नल अभिलाष कुमार पिठवा**
अधिष्ठाता
अमलतास इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
साइन्सेस, बांगर देवास

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2363/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2024 दिनांक 05/09/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
अमलतास विश्वविद्यालय
देवास (म.प्र.)

विषय— शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024—25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2024—25** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **24.08.2024** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक **05.09.2024** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:—

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024—25 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Medical Science	Radio diagnosis	2,519,000.00	1,827,500.00	322,500.00	**2,150,000.00**
2		Dermatology	2,519,000.00	1,827,500.00	322,500.00	**2,150,000.00**
3		Obstetrics & Gynecology	2,353,000.00	1,632,000.00	288,000.00	**1,920,000.00**
4		General Medicine	2,211,300.00	1,581,000.00	279,000.00	**1,860,000.00**
5		Orthopedics	2,211,300.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
6		Anesthesiology	2,041,000.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
7		Pediatrics	2,126,250.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
8		Psychiatry	2,041,000.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
9		T.B. & Chest	2,126,250.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल– 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322

Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website . mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

10		E.N.T.	2,041,000.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
11		General Surgery	2,041,000.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
12		Ophthalmology	2,041,000.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
13		Emergency Medicine	2,126,250.00	1,538,500.00	271,500.00	**1,810,000.00**
14		Pathology	950,000.00	807,500.00	142,500.00	**950,000.00**
15		MBBS	1,937,000.00	1,415,250.00	249,750.00	**1,665,000.00**
16	Faculty of Pharmacy	B. Pharma	69,500.00	59,075.00	10,425.00	**69,500.00**
17		D. Pharma	75,000.00	63,750.00	11,250.00	**75,000.00**

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नही होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नही है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024–25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल